

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 6 जून, 2014

कार्यालय जापन

विषय: ऐसे सरकारी कर्मचारियों की तैनाती के संबंध में जिनके पास विकलांग आश्रित हो।

यह मांग की जाती रही है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी को रूटिन स्थानान्तरण/चक्रानुक्रमिक स्थानान्तरण के माध्यम से विस्थापन के कारण कष्ट नहीं दिया जाए जो विकलांग शिशु की देखभाल कर रहा हो। यह मांग इस आधार पर की जाती रही है कि समय के साथ सरकारी कर्मचारी उस क्षेत्र में जहां वह निवास करता है/करती है, वहां अपने विकलांग बच्चे के लिए वह एक प्रकार की सहयोग-व्यवस्था बना लेता है/लेती है जिससे उन्हें पुनर्वास में सहायता प्राप्त होती है।

2. मामले पर विचार किया गया है। पुनर्वास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य विकलांगों को अपने शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक और मानसिक या सामाजिक क्रियात्मक स्तर को इष्टतम रूप में प्राप्त करने एवं उसे बनाए रखने के लिए समर्थ बनाना है। यह सहयोग-व्यवस्था, बेहतर भाषा संबंधी क्षेत्र, विद्यालय/अकादमिक स्तर, प्रशासन, पड़ोसी, शिक्षक/विशेष शिक्षक, मित्र, चिकित्सालयों, थेरेपिस्टों और चिकित्सकों आदि सहित चिकित्सा सेवा से मिलकर बनती है। अतः पुनर्वास एक सतत प्रक्रिया है एवं ऐसी सहयोग-व्यवस्था बनाने में वर्षों लग जाते हैं।

3. इस बात को ध्यान में रखा गया है कि ऐसा सरकारी कर्मचारी जिसके पास एक विकलांग बच्चा है और वही मुख्य रूप से बच्चे की देखभाल करने वाला है, के किसी भी प्रकार के विस्थापन से उसके विकलांग बच्चे के व्यवस्थित पुनर्वास पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि नया परिवेश/व्यवस्था उस बच्चे की पुनर्वास प्रक्रिया के लिए एक बाधा साबित हो सकती है। अतः उस सरकारी कर्मचारी, जो एक विकलांग बच्चे की देखभाल भी करता है, को प्रशासनिक बाधाओं के अधीन, नैमी स्थानान्तरण/चक्रानुक्रमिक स्थानान्तरण से छूट दी जा सकती है। 'विकलांग' शब्द में (i) दृष्टिहीनता या अल्पदृष्टि (ii) बधिरता (iii) गतिहीनता अथवा प्रमस्तिष्किय पक्षाघात (iv) कुष्ठरोग से मुक्ति (v) मानसिक विकलांगता (vi) मानसिक रूप से बीमार और (vii) विविध विकलांगता शामिल हैं।

.....2/-

4. विकलांग बच्चे के पालन-पोषण एवं पुनर्वास के लिए वित्तीय सहयोग अपेक्षित होता है। नेमी स्थानांतरण/चक्रानुक्रमिक स्थानांतरण के बहाने सरकारी कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का चुनाव करवाने पर विकलांग बच्चे की पुनर्वास प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

5. इसे कार्मिक राज्य मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

6. सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे इन अनुदेशों को अपने नियंत्रणाधीन सभी संबंधितों के संज्ञान में लाएं।

ह./-

(देवव्रत दास)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23093307

प्रति

- i. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
- ii. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के संबंध में, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली को।
- iii. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में, सार्वजनिक उद्यम विभाग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली को।
- iv. रेलवे बोर्ड/संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
- v. कर्मचारी चयन आयोग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
- vi. मुख्य विकलांगता आयुक्त का कार्यालय, सरोजनी हाऊस, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि:- तकनीकी निदेशक, एनआईसी, डीओपीटी को इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।